

कार्यवृत्त नीलामी

आज दिनांक 17/09/2025 को बाह्य न्यायालय देवबन्द परिसर स्थित साइकिल स्टैंड/मोटर साइकिल स्टैंड, चाय कैंटीन के नीलामी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 558/Admin(B-I) Section दिनांकित 01.09.2025 के अनुपालन में तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष बची अवधि 06 माह के नीलामी के संबंध में माननीय जिला न्यायाधीश की अनुमति 05.09.2025 के पश्चात न्यायपीठ सहारनपुर के बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित साइकिल स्टैंड/मोटर साइकिल स्टैंड, चाय कैंटीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नीलामी समिति की बैठक आज दिनांक 17.09.2025 को सांय 01.30 बजे में भूतल स्थित सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें श्री विनीत कुमार वासवानी, अध्यक्ष नीलामी समिति/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबन्द, श्री परविन्दर सिंह अपर सिविल जज (सी०डी०), सदस्य नीलामी कमेटी अवकाश पर हैं। श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी कमेटी, कोर्ट मैनेजर सहारनपुर से उपस्थित आये।

नीलामी की कार्यवाही शुरू की गयी, जो इस प्रकार है:-

बैठक में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2025-26 के बचे शेष (06 मास) हेतु बाह्य न्यायालय देवबन्द के साइकिल/मोटर साइकिल स्टैंड तथा चाय कैंटीन 06 माह हेतु न्यूनतम धनराशि निर्धारित की गई है। जो निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	प्रतिष्ठान का नाम	ठेके की जमानत धनराशि
1.	साइकिल/मोटर साइकिल स्टैंड	अंकन 40,000/- रुपये
2.	चाय कैंटीन	अंकन 20,000/- रुपये

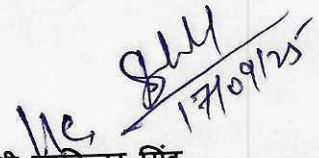
प्रत्येक बोलीदाता को बोली देने से पूर्व ठेके की जमानत धनराशि जमा करना होगी, जो बोलीदाता के पक्ष में बोली स्वीकार होने पर ठेके में समायोजित कर दी जायेगी। तथा अन्य बोलीदाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित प्रतिष्ठान की बोली के सम्बन्ध में नियम व शर्तों पर विचार विमर्श किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित कि गयी उपनाजिर बाह्य न्यायालय देवबन्द को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में नियम व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सार्वजनिक सूचना बाह्य न्यायालय देवबन्द के सूचना बोर्ड व उपजिलाधिकारी देवबन्द में स्थित नोटिस बोर्ड एवं अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा व उपरोक्त प्रतिष्ठानों के ठेको की नीलामी न्यूनतम आरक्षित धनराशि का उल्लेख नीलामी नोटिस में ना करें तथा उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना एक राष्ट्रीय व तीन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करायें एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल पर तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर भी नीलामी तिथि व विवरण अपलोड करायें।

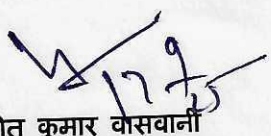
नीलामी की तिथि बाह्य न्यायालय देवबन्द भूतल स्थित सभा कक्ष में दिनांक 26-09-2025 समय सांय 4.30 बजे नियत की जाती हैं।


श्री संजीव कुमार शर्मा
सदस्य, नीलामी कमेटी
कोर्ट मैनेजर, सहारनपुर

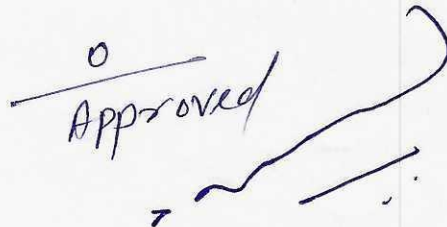
17/09/2025


श्री परविन्दर सिंह
सदस्य, नीलामी कमेटी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाह्य न्यायालय, देवबन्द (अवकाश पर)

17/09/2025


श्री विनीत कुमार वसवानी
अध्यक्ष, नीलामी कमेटी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय, देवबन्द

17/09/2025


Approved
DISTT. JUDGE
SAHARANPUR

**बाह्य न्यायालय देवबन्द (सहारनपुर) के चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल/ स्कूटर/साईकिल स्टैंड की नीलामी वर्ष
2025-26 नियम व शर्तें**

दीवानी न्यायालय परिसर बाह्य न्यायालय देवबन्द में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैंड) को टैन्डर के माध्यम से उठाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 (छः माह के लिए) नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं जिसका अनुपालन अनबन्धित खुली बोलीदाताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की अनुमति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली जायेगी।

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष बची अवधि (छः माह) के लिए बाह्य न्यायालय देवबन्द परिसर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैंड) हेतु खुली बोली के आधार पर आनुपातिक न्यूनतम मूल्य उपरोक्त वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के सापेक्ष में आनुपातिक होगी।
2. बोलीदाता/टैन्डर ठेकेदार की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति ठेकाधारक को करनी होगी।
3. बोलीदाता/ठेकेदार को सम्पूर्ण ठेके की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि ठेके की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नहीं करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।
4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
5. बोलीदाता को नीलामी खुली बोली के समय चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैंड के लिए अंकन 30,000 रुपये तथा मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैंड के लिए अंकन 30,000 रुपये प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा करने होंगे तथा कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाता के नाम ठेका नहीं छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा स्कूटर/साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैंड इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।
10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।
11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पेट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।

13. ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. जिन बोलीदाताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन बोलीदाताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
15. ठेके की प्रतिमाह की देय किश्त माह की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।
17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिडिंग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं अपने खर्च से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन लगाने की अनुमति नहीं होगी।
18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।
19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर करेंगे।
20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नहीं है।

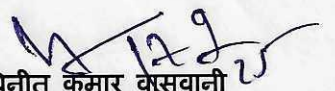
दीवानी न्यायालय परिसर देवबन्द में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन,, साईकिल स्टैंड,) को बोली के माध्यम से उठाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2025-2026 (छः माह के लिए) उक्त के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी है, जिनका अनुपालन अनुबन्धित बोलीदाताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।


श्री संजीव कुमार शर्मा
सदस्य, नीलामी कमेटी
कोर्ट मैनेजर, सहरानपुर

17/09/2025


श्री परविन्दर सिंह
सदस्य, नीलामी कमेटी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाह्य न्यायालय, देवबन्द (अवकाश पर)

17/09/2025


श्री विनीत कुमार केशवानी
अध्यक्ष, नीलामी कमेटी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय, देवबन्द

17/09/2025

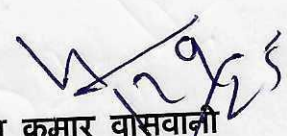

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR

सार्वजनिक सूचना (प्रकाशन हेतु)

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सहारनपुर के आदेश दिनांक 05/09/2025 के अनुपालन में बाह्य न्यायालय देवबन्द, सहारनपुर परिसर में स्थित साईकिल स्टैंड/मोटर साईकिल स्टैंड व चाय कैंटीन की वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष बची अवधि (छः माह के लिए) हेतु निलामी कार्यवाही दिनांक 26/09/2025 समय सांय 4.30 बजे तक बाह्य न्यायालय देवबन्द के मीटिंग हॉल में की जायेगी।

इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तें, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग बाह्य न्यायालय देवबन्द व नज़ारत जजी सहारनपुर के कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना-पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक 17/09/2025


विनीत कुमार वासवानी

(अध्यक्ष नीलामी समिति)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय देवबन्द सहारनपुर।

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सहारनपुर के आदेश दिनांक 05/09/2025 के अनुपालन में समिति की आख्या अनुसार बाह्य न्यायालय देवबन्द, सहारनपुर परिसर में स्थित साईकिलस्टैण्ड /मोटर साईकिल स्टैण्ड / स्कूटर स्टैण्ड व चाय कैन्टीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 शेष (छ माह के लिए) दिनांक 26/09/2025 की सांय 4.30 बजे तक नीलामी खुली बोली के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा नीलामी के नियम व शर्तों का अवलोकन बाह्य न्यायालय देवबन्द के नजारत तथा जनपद न्यायालय सहारनपुर, नजारत के बाहर लगे सूचनापट पर किया जा सकता है।

दिनांक-17/09/2025


विनीत कुमार वासदेवानी

(अध्यक्ष नीलामी समिति)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय देवबन्द सहारनपुर।

प्रेषक,

विनित कुमार वासवानी
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज एव सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय, देवबंद, सहारनपुर

प्रेषित ,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक-

दिनांक-

विषय: बाह्य न्यायालय देवबंद स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की वित्तीय वर्ष 2025-2026 (छः माह के लिए) ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 428/Admin (B-1) Section Allahabad दिनांकित 22/03/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बाह्य न्यायालय देवबंद स्थित 02 प्रतिष्ठानों की नीलामी के सम्बन्ध में खुली बोली निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या 562/19- दो-2007-1007/74(टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुक्रम में नीलामी विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन आपके कार्यालय के माध्यम से कराये जाने हेतु आदेशित किया गया।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष-2025-2026(छः माह के लिए) बाह्य न्यायालय देवबंद स्थित 1 साईकिल स्टैंड व 2 चाय कैन्टीन के ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति शासनादेश संख्या- 562/19-दो-2007-1007/74 (टी.सी.) दिनांकित 04.07.2007 के आलोक में आपके कार्यालय के माध्यम से कराया जाना अपेक्षित है। इस पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष-2025-2026 (छः माह के लिए) बाह्य न्यायालय देवबंद परिसर स्थित समस्त 02 प्रतिष्ठानों के ठेके की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अस्तु, शासनादेश संख्या-562/19-दो-2007-1007/74 (टी.सी.) सूचना अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकित 04.07.2007 के परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न नोटिस का निःशुल्क प्रकाशन नियमानुसार राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र व स्थानीय समाचार पत्रों (कम से कम तीन सर्वाधिक परिचालित) में करवाकर उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त


विनित कुमार वासवानी
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज एव सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय, देवबंद, सहारनपुर।

प्रेषक,

विनीत कुमार वासवानी
अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय, देवबन्द

प्रेषित,

ओ.एस.डी. (कम्प्यूटर)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर विज्ञप्ति अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

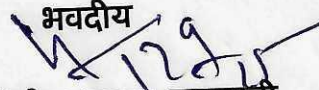
सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 558/Admin(B-1) Section Allahabad दिनांकित 01/09/2025 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा न्यायपीठ सहारनपुर के बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित प्रतिष्ठानों साईकिल मोटर साईकिल स्टैंड तथा चाय कैन्टीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 शेष (छःमाह के लिए) खुली बोली दिनांक 26/09/2025 के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी।

उक्त नीलामी के अनुक्रम में नीलामी समिति की सर्वसम्मति राय से दिनांक 26/09/2025 की सांय 4.30 बजे तक खुली बोली करने का निर्णय ली गई इस सम्बन्ध में दिनांक 26/09/2025 के सांय 4.30 बजे तक बाह्य न्यायालय देवबन्द में होगी।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि संलग्न विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करे।

सादर।

दिनांक-17/09/2025

भवदीय

विनीत कुमार वासवानी
अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय, देवबन्द